

6/11/19

पत्रावली पेश हुई। वकील नदी हाजिर। प्रतिपक्षी वकील व पक्षकार हाजिर नहीं। वकील नदी द्वारा प्र. पत्र प्रस्तुत कर नदी विडोल करने का निवेदन किया। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्रतिपक्ष द्वारा कोई जवाब व वकीलता-भा प्रस्तुत नहीं है। अतः नदी द्वारा प्रस्तुत प्र. पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में इसी स्तर पर कार्यवाही रवाजि की जाती है। निम्न फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर दखिल दफ़तर हो।

